प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 08/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा द्वारा 'भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत' विषय पर अनुशंसाएँ जारी की गई।

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत'** विषय पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की हैं।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 21.03.2022 के एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 (1) (ए) के तहत भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की सुविधा शुरू करने पर अपनी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करने हेतु भादूविप्रा से अनुरोध किया था।

3. इस संबंध में, भादूविप्रा ने 'दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) की शुरुआत' विषय पर हितधारकों की टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.11.2022 को एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके जवाब में, 40 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं, और पाँच हितधारकों ने अपनी प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं। उक्त परामर्श पत्र पर दिनांक 09.03.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई थी।

4. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) सेवा की शुरूआत' पर अपनी अनुसंशाओं को अंतिम रूप दे दिया है। इन अनुसंशाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) अनुपूरक सेवा की शुरुआत की जानी चाहिए।

ख. कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) को आईटीयू अनुशंसा/आईपी एड्रेस के ई.164 के अनुसार निर्दिष्ट टेलीफोन नंबर और कॉलिंग नाम (सीएनएएम) या कोई अन्य पहचान जो समय-समय पर लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित की जा सकती है, के संदर्भ में कॉल करने वाले/प्रारंभ करने वाले सब्सक्राइबर की पहचान के रूप में फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए।

ग. सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को अपने टेलीफोन सब्सक्राइबरों को उनके अनुरोध पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (सीएनएपी) अनुपूरक सेवा प्रदान करनी चाहिए।

घ. ग्राहक आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) में टेलीफोन सब्सक्राइबर द्वारा प्रदान की गई नाम पहचान की जानकारी का उपयोग सीएनएपी के प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए।

ङ. भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में सीएनएपी के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी मॉडल को रूपरेखांकित किया गया है।

च. अनुशंसाओं की स्वीकृति के पश्चात, सरकार को उपयुक्त निर्धारित तिथि के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी उपकरणों में सीएनएपी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उचित निर्देश जारी करना चाहिए।

छ. थोक कनेक्शन और व्यावसायिक कनेक्शन रखने वाली सब्सक्राइबर संस्थाओं को ग्राहक आवेदन पत्र (सीएएफ) में प्रदर्शित नाम के स्थान पर अपना 'अधिमानित नाम' प्रस्तुत करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

ज. 'अधिमानित नाम' कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत 'ट्रेडमार्क नाम', या जीएसटी परिषद के साथ पंजीकृत ट्रेड नाम', या सरकार के साथ विधिवत पंजीकृत कोई अन्य विशिष्ट नाम हो सकता है, बशर्ते कि सब्सक्राइबर इकाई ऐसे नाम के स्वामित्व को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम हो।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा